राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांकः एफ.2(1)( )मबावि/आ.क.को/पार्ट–2/लेखा/2012/ 155096–399 जयपुर, दिनांक 18.11.15

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त।

विषयः– सामूहिक बचत एवं बीमा येाजना की पॉलिसी प्रीमियत राशि को भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में जमा करवाने बाबत्।

प्रसंगः– निदेशालय का पत्र क्रमांक 33132–469 दिनांक 30.04.2015, 78651–988 दिनांक 25.08.15, 25151–488 दिनांक 29.02.16 एवं 107546–883 दिनांक 11.08.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी सामूहिक बचत एवं बीमा योजना की पॉलिसी प्रीमियम राशि के भुगतान के सम्बन्ध में यह देखने में आया है कि कई परियोजना कार्यालयों द्वारा सामूहिक बचत एवं बीमा योजना की पॉलिसी प्रीमियम राशि को भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में निर्धारित समयावधि के भीतर जमा नहीं करवाया जा रहा है, जिसके कारण भारतीय जीवन बीमा निगम को देय प्रीमियम पर ब्याज की देयता तथा पॉलिसी के कालातीत होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो अत्यन्त खेदजनक स्थिति है। भारतीय जीवन बीमा निगम को यथा समय प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करने के कारण अनावश्यक विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति को वित्त विभाग द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज की वसूली करने तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यावाही करने हेतु समय–समय पर निर्देशित किया जाता रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि सामूहिक बचत एवं बीमा योजना में पॉलिसी प्रीमियम की राशि को भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में निर्धारित समयावधि के भीतर जमा करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि पॉलिसी प्रीमियम पर अनावश्यक ब्याज की देयता तथा पॉलिसी लैप्स होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हों, जहां पॉलिसी लैप्स चल रही हैं, उसको शीघ्र नियमानुसार नियमित कराने की कार्यवाही करावें, तथा उक्त योजना के सम्बन्ध में भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय द्वारा चाही गई वांछित सूचना/जानकारी यथासमय उपलब्ध करावें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी की होगी।
उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावें।

(स्मिता सरीन)
वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.2(1)( )मबावि/आ.क.को/पार्ट–2/लेखा/2012/ 155400–434 जयपुर, दिनांक 18.11.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त, उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ समस्त परियोजना कार्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें तथा समय–समय पर जिला स्तर पर आयोजित बैठकों में भी इसकी समीक्षा की जावें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

वित्तीय सलाहकार

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur 302015
Ph. No. 0141-2705561/2700216, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail cao.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in